न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म०प्र०

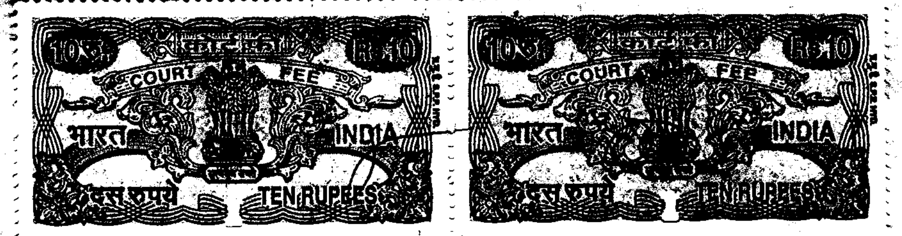

भगवती प्रसाद आत्मज श्री बिहारीलाल राठौर
निवासी रहटगांव तहसील रहटगांव जिला
हरदा म.प्र. ---------- आवेदक/ निगरानीकर्ता

बनाम

प्रेमनारायण आत्मज श्री राधाकिशन , जाति ब्राह्मण
सर्वकार श्रीराम जानकी मंदिर प्रबंधक जिलाधीश महोदय
हरदा म.प्र. ---------- अनावेदक/ उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता
= =

उपरोक्त निगरानी निगरानीकर्ता राजस्व निरीक्षक रहटगांव तहसील रहटगांव के द्वारा प्रकरण क्र. 14-अ/12 वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 15.6.2015 से विपरीत प्रभावित होकर जानकारी दिनांक 20.6.2016 से समय सीमा में निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

:: संक्षिप्त तथ्य ::

1. यह कि , निगरानीकर्ता ग्राम रहटगांव का निवासी है एवं कृषि कार्य करता है उसके नाम पर राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी खसरा नं. 185/2 ,186/2 की हैसियत से दर्ज चला आ रहा है जिससे समीपवर्ती कृषक उत्तरवादी की भी भूमि लगी है जिसका खसरा नंबर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2502–पीबीआर/16 [भगवतीप्रसाद/प्रेमनारायण] जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–3–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश दिनांक 15–6–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23–8–2016 को लगभग एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण तहसीलदार द्वारा सीमांकन की सूचना नहीं देना बताया जा रहा है और जानकारी का स्त्रोत मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अन्तर्गत प्रकरण में कार्यवाही के दौरान होना दर्शाया गया है जो कि विश्वसनीय कारण नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया समय बाह्य होने के कारण अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	